संरक्षा बुलेटिन

मध्य रेलवे, सोलापुर मंडल

मासिक बुलेटिन नं - 05, सितंबर - 2018.

****

“संरक्षा नियमों का पालन आप पर निर्भर है”

****

भारतीय रेल पर निम्नलिखित असामान्य घटनाएं हुए हैं :-

1. दिनांक 09/06/2018 को करीब 18:40 बजे,नई दिल्ली से राजंद्रनगर पटना की गाड़ी नंबर 12394 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का रिअर (पिछला) पॉवर कार, जब गाडी स्टेशन से गुजर रही थी तब गाज़ियाबाद यार्ड में सिगनल सं - 19 के पाइंट सं 336 के पास सभी चक्के पटरी से उतर गए।

कारण : मुख्य लाइन के लिए पथ सेट किया गया था । पाइंट सं 336 -ए सामान्य से विपरीत दिशा में चला गया जब कि अंतिम वाहन की पिछली ट्राली वहीं खडी थी। गियर्स को उचित तरीके से डिस्कनेक्ट किए बिना अनुरक्षण कार्य करने के कारण T.No.12394 के पॉवर कार गुजरते समय ट्रैक सर्किट 335-एटी पिक अप हो गया ।

जिम्मेवारी : सिग्नलिंग कर्मचारी ।

नियम का उल्लंघन : साधारण नियम - 3.51(3) और सहायक नियम - 3.51-1 सहायक नियम 3.51(3) के अनुसार उल्लंघन स्टेशन मास्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी रेल सेवक मरम्मत करने या किसी अन्य उद्देश्य से किसी भी प्वाइंट, सिगनल या उसकी फिटिंग, सिगनल के वायर या किसी अन्तर्पाशन (इंटरलॉक्ड) या ब्लॉक गियर में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

सहायक नियम 3.51.1 के अनुसार प्वाइंटों, सिगनलों या अन्तर्पाशन (इंटरलॉक्ड) गियरों को अलग - अलग (डिसकनेक्ट) करने से पहले, इस कार्य के कार्यभारी कर्मचारी को कार्य प्रारंभ करने से पहले और कार्य समाप्त करने के बाद सि व दू सं (टी/351) फॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर या केबिन सहायक स्टेशन मास्टर को लिखित सूचना देनी चाहिए।

2. दिनांक 10/06/2018 को करीब 20:45 बजे, लाइन नंबर CG-4 से CG-5 तक लोको संख्या 31544 के साथ ACMU 27562 एवं 28216 के शंटिंग के दौरान माजरी जंक्शन यार्ड के शंटिंग नेक पर AC लाइट इंजन संख्या 27562 WAG-7 पटरी से उतर गया।

कारण : SH /34 को क्लियर करने के लिए लोको द्वारा पीछे से धकेलने के दौरान आगे के लोको संख्या 27562 पर प्वाइंटसमैन के उपस्थित न होने के वजह से आगे के हिस्से का डेड लोको संख्या - 27562 डेड एण्ड् को जा टकराया और आगे की ट्राली के सभी चक्के डेड एण्ड को क्षतिग्रस्त करते हुए पटरी से उतर गए।

.2..

जिम्मेवारी : परिचालन विभाग के कर्मचारी

नियम का उल्लंघन : केवल यथोचित रुप से प्राधिकृत किए गए परिचालन कर्मचारियों की देख-रेख में ही शंटिंग की जानी चाहिए, शंटिंग कर्मचारियों द्वारा स्टेशन संचालन नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

3. दिनांक 16/06/2018 को करीब 14:25 बजे, गाड़ी नंबर 12182 में दो डिब्बों को जोड़ने के लिए लाइन नं - 7 से लाइन नं - 6 तक शंटिंग प्रचालन के दौरान आगे की बोगी के पहले दो चक्के पटरी से उतर गए ।

कारण : पाइंटसमैन एवं शंटिंग स्टॉफ द्वारा डिब्बा नंबर 12226 के नीचे पहले से उपलब्ध लकडी के गुटके को हटाया नहीं गया । शंटिंग के दौरान डिबबा उछल गया और आगे के चक्कों की जोडी पटरी से उतर गई।

जिम्मेवारी : शंटिंग कर्मचारी

नियम का उल्लंघन : शंटिंग संचालन आदेशोंका उल्लघंन ।

सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश :-

जब मरम्मत, बदलाव अथवा फेरबदल के लिए कांटा उपस्करों या सिगनलों को वियोजित करना आवश्यक है तो विषयगत लाइन को शासित करने वाले चेतावनी/दूरस्थ और रोक सिगनल को 'ऑन' स्थिति में रखा जाए और कार्य पुरा होने तक निष्क्रिय (In-operative) कर दिया जाए।

खराबी दूर करने की तारीख एवं समय तथा खराबी की प्रकृति प्रत्येक अंतर्पाशित स्टेशन पर उपलब्ध सिगनल घटना (Incidence) एवं निरीक्षण रजिस्टर में अनिवार्यत: रिकॉर्ड करेगा।

रेल पथ के विविध अंगों का निरीक्षण एवं लूब्रिकेशन

ट्रैक के विविध अंगों की घिसाई - पिटाई (वियर एंड टीयर) कम करने तथा उनकी आयु वृध्दि करने के उद्देश्य से ट्रैक विविध अंगों की लूब्रिकेशन किया जाता है। ट्रैक विविध अंगों की लूब्रिकेशन करने से पूर्व ट्रैक विविध अंगों की दरार, (क्रैक) टूट-फूट (ब्रेकेज) आदि की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।

संदर्भ :- भारतीय रेल पथ कार्य संचालन नियम।वली / (आई आर पी डब्ल्यू एम) मुख्य इंजिनियर परिपत्र संख्या 186 और प्रधान मुख्य इंजीनियर का दिनांक 04/01/2018 का पत्र संख्या डब्ल्यू /636/टी-II/जनरल/vii.

(सुरेश कुमार एन.टी)
वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी,सोलापुर